

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

रीडर/2019/

295

दिनांक - 21.2.19

प्राथीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 भंवरसिंह 2 मोडसिंह 3 कुम्पसिंह पिसरान
बीजराजसिंह जाति राजपूत निवासी कनोड़ा,
सुरा, तहसील व जिला बाड़मेर।


1 रूखवाराम पुत्र आम्बाराम जाति भील 2
देवराजसिंह पुत्र सुरतानसिंह 3 पृथ्वीसिंह
पुत्र जुगतसिंह 4 समरथसिंह पुत्र
वागसिंह जाति राजपूत 5 छुटाखां पुत्र
नियालखां जाति मुसलमान निवासी
कनोड़ा, सुरा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 09/2018

दिनांक- 13.02.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा कनोड़ा पटवार क्षेत्र सुरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 126 रकबा 115.02 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर


दिनांक- 21.2.19

क्रमांक :- रीडर/2019/

296-299

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सुरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. भंवरसिंह पुत्र बीजराजसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी कनोड़ा सुरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी रूखवाराम पुत्र आम्बाराम वगैराह जाति भील निवासी कनोड़ा सुरा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर